

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 29/14

संस्थापन दिनांक:-23/01/14

फाईलिंग नं. 233504003712014

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रू द्ध**

अंकुर सिंह पिता मदनसिंह राजपूत  
उम्र 32 वर्ष, निवासी समरतढाना,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**—: (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 05.06.2018 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323(दो कांउट में), 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 15.01.2014 को शाम करीब 07:00 बजे प्रार्थिया का मकान समरतढाना थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी रेखाबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी रेखाबाई एवं आहत महक को हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 15.01.2014 को शाम 07:30 बजे अभियुक्त जो कि उसका देवर है बिना कारण के उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा। फरियादी द्वारा अभियुक्त को गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसे सिर के बाल पकड़कर गिरा दिया और हाथ मुक्को से पीठ पर मारा। जब उसकी छोटी लड़की महक उसके पास आयी तो अभियुक्त ने उसे भी धक्का देकर गिरा दिया। अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 44/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण

कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे फरियादी एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी रेखाबाई एवं आहत महक के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
5. क्या ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
6. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
7. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

**॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

**विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 06 का निराकरण**

5 रेखाबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त ने उसे गाली बकी थी। घनश्याम (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है घटना के समय अभियुक्त ने उसकी पत्नी को गालियां दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्त द्वारा फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के

संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

6 साक्षी/फरियादी रेखाबाई (अ.सा.-3) एवं घनश्याम (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा गाली दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 अभियुक्त द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में साक्षी घनश्याम (अ.सा.-4) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि साक्षी घनश्याम (अ.सा.-4) ने प्रकट किया है कि अभियुक्त ने घटना के समय जान से मारने की धमकी दी थी। अभियुक्त द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त का उसके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्त के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

### विचारणीय प्रश्न क. 04 एवं 05 का निराकरण

8 रेखाबाई (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि घटना दिनांक को उसके पति घर पर नहीं थी, अभियुक्त पत्थर लेकर मारने दौड़ता है। न्यायालय द्वारा साक्षी से प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त ने उसे बाल पकड़कर गिरा दिया था, हाथ मुक्के से मारा था। उसके हाथ पर चोट आयी थी। उसकी बच्ची महक जो कि पास में खड़ी थी उसे भी चोट आयी थी। घनश्याम (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि अभियुक्त ने उसकी पत्नी के साथ हाथ मुक्कों से मारपीट की थी और उसकी तीन साल की बच्ची महक को भी खींचातानी कर गिरा दिया था जिससे उसे चोट आयी थी।

9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-1) ने दिनांक 16.01.2014 को सीएचसी

आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत रेखाबाई का परीक्षण किये जाने पर आहत के शरीर पर कोई चोट नहीं पायी थी परंतु आहत की पीठ एवं बांये हाथ में दर्द पाया था तथा आहत महक का परीक्षण किये जाने पर आहत के माथे के बीच में 2 गुणा 2 सेमी. आकार का नील का निशान पाया था। साक्षी ने आहत महक को आयी चोट कड़े एवं बोथरे हथियार से आना प्रकट करते हुए उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 एवं प्रदर्श पी-2 को प्रमाणित किया है।

10 बिसन सिंह (अ.सा.-5) ने दिनांक 20.01.2014 को पुलिस थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध क्र. 44/14 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी-5) तथा उक्त दिनांक को ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी-6) का गिरफ्तार पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है।

11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। साक्षी घनश्याम फरियादी का पति होकर हितबद्ध साक्षी है। साथ ही साक्षी अनुश्रुत साक्षी भी है। साथ ही फरियादी ने अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन भी नहीं किये हैं जिससे अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में साक्षी मनोहर (अ.सा.-2) जो कि स्वतंत्र साक्षी है, साक्षी ने घटना की कोई भी जानकारी न होना बताया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। अतः अभियोजन को इस साक्षी की साक्ष्य से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है परंतु न्यायालय के मत में मात्र स्वतंत्र साक्षी के घटना का समर्थन न करने से संपूर्ण अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं होता है क्योंकि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के मामले में गवाही देने से बचता है।

13 घनश्याम (अ.सा.-4) जो कि फरियादी का पति है, साक्षी ने घटना की संपूर्ण जानकारी अपनी पत्नी से घर आने पर प्राप्त होना बताया है। साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त ने उसकी पत्नी के बाल पकड़कर उसकी हाथ मुक्के से मारपीट की थी। उसकी तीन साल की बच्ची महक को भी खींचातानी में सिर में चोट आ गयी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसने घटना नहीं देखी थी। इस सुझाव को सही बताया है कि उसके उपर अभियुक्त अंगुर से मारपीट करने का मुकदमा चला रहा है। यदि अभियुक्त

अंगुर उससे राजीनामा कर लेता है तो वह भी अभियुक्त से राजीनामा कर लेवेगा। यह साक्षी अनुश्रुत साक्षी है। अतः ऐसी स्थिति में साक्षी के कथनों पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है।

14 अभिलेख पर मात्र फरियादी रेखाबाई की साक्ष्य उपलब्ध है। आहत घटना का सर्वोत्तम साक्षी होती है। तब फरियादी के कथनों से यह देखा जाना है कि उसके कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं ?

15 रेखाबाई (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक को उसके पति घर पर नहीं थे। अभियुक्त उसे पत्थर लेकर मारने के लिए दौड़ता है, कपड़े निकालकर उसके उपर दौड़ता है, जैसी चाहे वैसी हरकत करता है। उसने घटना की रिपोर्ट थाने में की थी। न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त ने उसे बाल पकड़कर गिराया था, हाथ मुक्के से मारा था जिससे उसे हाथ पर चोट आयी थी और उसकी बच्ची को सिर पर चोट आयी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त अंगुर सिंह की हड़डी तोड़ने का केस उसके पति के बीच चल रहा है। अभियुक्त और उसके पति दोनों सगे भाई हैं। घटना दिनांक को अभियुक्त का झगड़ा उसके मां बाप से हो रहा था। अभियुक्त अपने मां बाप को मारपीट कर रहा था तो वह बीच बचाव के लिए गयी थी। बचाव अधिवक्ता द्वारा साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट एवं उसके कथन पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि उसने ऐसी रिपोर्ट लेख नहीं करायी थी और न ही ऐसे कथन दिये थे। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 04 में साक्षी ने यह बताया है कि वह यह चाहती है कि अभियुक्त उसके पति से राजीनामा कर ले और मामला खत्म हो जाये परंतु इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसके पति की रिपोर्ट की इसलिए उसने अभियुक्त की रिपोर्ट की।

16 रेखाबाई (अ.सा.-3) ने अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन नहीं किये हैं। साक्षी के कथनों से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि उसकी बेटी महक को अभियुक्त के किस कृत्य से चोट आयी थी। साथ ही प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि घटना के समय अभियुक्त का उसके मां बाप से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वह बीच बचाव करने के लिए गयी थी। साथ ही साक्षी ने यह भी बताया है कि वह यह चाहती है कि अभियुक्त उसके पति से राजीनामा कर ले। रेखाबाई के चिकित्सकीय परीक्षण में उसे कोई भी प्रत्यक्षदर्शी चोट नहीं पायी गयी है मात्र पीठ एवं बांये हाथ में दर्द की शिकायत पायी गयी है। यद्यपि आहत महक के सिर में चिकित्सकीय परीक्षण में नील का निशान पाया गया है परंतु फरियादी के कथनों से यह प्रकट नहीं हुआ है कि आहत महक को अभियुक्त के किस कृत्य से चोट आयी थी। साथ ही फरियादी

ने अभियोजन कथा के अनुरूप भी न्यायालय में कथन नहीं किये हैं। साक्षी अपने कथनों पर स्थिर भी नहीं है। अभियुक्त की रिपोर्ट पर से फरियादी के पति पर मामला चल रहा है तथा फरियादी का यह कथन है कि अभियुक्त उसके पति से राजीनामा कर ले। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा अत्यन्त संदेहास्पद हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

### **विचारणीय प्रश्न क. 07 का निराकरण**

17 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी रेखाबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी रेखाबाई एवं आहत महक को हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त अंगुर सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323(दो काउंट में), 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)